कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467 E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 3402 / 12-1 , दिनांक, कोटद्वार, 07, 04 2026

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी0आई0यू0,नजीबाबाद जिला बिजनौर ।

विषयः- Construction of 4-laning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- kotdwar to kotdwar-Pauri road in the state of Uttarpradesh and Uttarakhand under bharat mala Pariyojana Lot-4/pakage-2. **(FP/UK/ROAD/157584/2022)**

संदर्भः- **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून का पत्रांक 1734/12-1 दिनाँक 16/03/2026 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक संख्या-8B/UCP/06/35/2024/FC दिनांकः-13.01.2026.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद-पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत भारत माला परियोजना ल0-4 पैकेज-2 के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी मार्ग से जोड़ने वाले एनएच-119 के कोटद्वार बाईपास के 4-लेन के निर्माण कार्य हेतु 1.1 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, नजीबाबाद जिला बिजनोर को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 05.05.2025 द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका प्रतिउत्तर/अनुपालन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, को प्रेषित किया गया। जिसका भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, द्वारा अवलोकन करने पर कुछ कमियाँ पाई गई। जो निम्नानुसार।

1- After Examination of the compliance report and the KML file, it is observed that the proposed road falls within the Buffer Zone of Rajaji Tiger Reserve and the NPV amount has not been deposited as per the prescribed norms- Accordingly, the User Agency shall be directed to deposit the applicable NPV, as per the extant guidelines for diversion of forest land falling within the buffer area of a Tiger Reserve, and submit documentary proof of the same.

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर इस कार्यालय के पत्रांक 2415/12-1 दिनांक 07/02/2026, के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को प्रकरण पर मार्गदर्शन एवं उचित दिशा निर्देश निर्गत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1734/12-1 दिनाँक 16/03/2026 से निर्देशित किया गया की **"भारत सरकार के उक्त ई0डी0एस0 के क्रम में वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम-1980 यथासशोधित-2023 के हस्तपुस्तिका के आध्याय-3 के प्रस्तर 3.4 (प्रति संलग्न) के अनुसार NPV की धनराशि जमा किये जाने हेतु डिमांड नोट निर्गत करना सुनिश्चित करें।"**

) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून प्रयोक्ता द्वारा वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम-1980 यथासशोधित-2023 के हस्तपुस्तिका के आध्याय-3 के प्रस्तर 3.4 के अनुसार NPV की धनराशि जमा किये जाने हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में 1.1 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

ईको क्लास	हरियाली का घनत्व	एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0	एन0पी0वी0 की धनराशि	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में जमा एन0पी0वी0 की धनराशि	अवशेष धनराशि जो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की जानी है।
1	2	3	4	5	6
III	0.5	12,28,590	(12,28,590 x 1.1) x 10 = 1,35,14,490.0	13,51,449.0	(1,35,14,490.0 – 13,51,449.0) = **1,21,63,041.00**
					(रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख त्रेसष्ठ हजार इकतालीस) मात्र

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक- 3402 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

o/c